न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अनिता धेतरवाल R.A.S.

न. मु. 48/2011

1 हेमाराम पुत्र गिधाराम जाति जाट निवासी ग्राम कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

वादी

बनाम

1 स्वर्गीय उगरा पत्नि प्रहलाद दास जाति स्वामी निवासी ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू

2 स्वर्गीय भोलदास पुत्र ईशरदास जाति स्वामी निवासी ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू

2/1 चन्द्री पत्नी स्वर्गीय भोलदास जाति स्वामी निवासी ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू

2/2 राजेन्द्र प्रसाद दतक पुत्र चन्द्री बेवाह भोलदास जाति स्वामी निवासी ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू

3 प्रेमदास पुत्र ईशरदास जाति स्वामी निवासी ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू

4 मॉगीलाल पुत्र राधाकिशन जाति स्वामी निवासी ग्राम चरला तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

6 जड़वा धर्मपत्नी गणपतराम जाति जाट खेरीया निवासी ग्राम कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

7 शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू

8 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशलन बैंक शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1 वादी – श्री रघुवीर भांमू एडवोकेट

2 प्रतिवादी स. 2/2, 3 मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

निर्णय

दिनांक :– 02/01/2024

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नम्बर 141 तादादी 25–08 बीघा, खसरा नम्बर 365 तादादी 65–05 बीघा वाके रोही सांरगसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 65–05 बीघा मिन उतरादी आथुणी कून्ट की 11–00 बीघा का वादी खातेदार कृषक है। प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 65–05 बीघा वाके रोही

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

सांरगसर में से उतरादी आथुणी कून्ट की 11–00 बीघा भूमि जिसकी सीमांए नीचे अंकित की जा रही है जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09–09–1988 के द्वारा खरीद की थी जिस पर खरीद करने के दिन से वादी के निरन्तर साधिकार मालिकाना अधिकार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रही है वादी ने वादगत खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 65–05 बीघा वाके रोही सांरगसर में से उतरी आथुणी कून्ट की 11–00 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09/09/1988 के द्वारा खरीद करने के पश्चात विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अंकित करने के लिए दी। पटवारी हल्का द्वारा वादी की खरीद शुदा भूमि का नामान्तरकरण वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं की जिसकी जानकारी वादी को अब तक नहीं हुई। वादी की खरीद शुदा भूमि के आसे पासे निम्न निम्न है। उत्तर खेत हनुमानाराम व माणकराम वगैराह पि. कालुराम जाट व जीवणराम पुत्र सुखदास स्वामी, दक्षिण बाकी मांदा खेत खसरा नम्बर 365 मिन तादादी 54–05 बीघा विक्रेता, पूर्व खेत शेराराम पुत्र कुम्भाराम जाट, पश्चिम खेत मुलाराम पुत्र रूघाराम जाट है। प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 65–05 बीघा वाके रोही सांगरसर में से उतरादी आथुणी कून्ट में 11–00 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनंक 09/09/1988 के द्वारा वादी की खरीद शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग शुदा है कि खरीद करने के दिन से निरन्तर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग व खातेदारी मं चला आ रहा है जिसकी घोषणा करवा कर खातेदारी में संशोधन करवाने का वादी कानूनी अधिकारी है क्योकि वादगत वादी के खरीद शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग शुदा है प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 ने वादगत खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 65–05 बीघा में से 20–00 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 4 को जरिये विक्रय पत्र विक्रय की जिसकी खातेदारी प्रतिवादी सख्या 4 के नाम जरिये नामान्तरकरण सख्या 508 दिनांक 05/02/2011 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई। प्रतिवादी सख्या 4 ने वादी को ऐलानिया तौर पर धमकी दी की मैने वादगत खेत में से 20–00 बीघा भूमि खरीद की है तथा वादी के नाम वादगत खेत की खातेदारी में नहीं है इसलिए मै इस खेत को काश्त करके वादी को बैदखल कर दुंगा, तब वादी ने वादगत खेत के राजस्व रेकार्ड के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतू पटवारी हल्का से दिनांक 27/02/2011 को नकल प्राप्त की तब वादी को पता चला की वादगत खेत की खातेदारी वास्तविकता के विपरीत एवं गलत राजस्व रेकार्ड में अंकित है तथा वादी के खरीद शुदा कब्जा काश्त की भूमि की खातेदारी उसके नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं है इससे पूर्व वादी को वादगत खेत के राजस्व रेकार्ड के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 को आपसी तौर पर समझाया की वादगत खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 65–05 बीघा में से उतरी अगूणी कून्ट में 11–00 बीघा भूमि वादी के जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09/09/1988 के द्वारा खरीद शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग शुदा है तथा पुख्ता सींवें कायम है जिसके मुताबिक राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवायें क्योकि वादगत खेत खसरा नम्बर 365 में से वादी की 11–00 बीघा भूमि खरीद शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग शुदा है वादगत खेत के राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन हो जाने से प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के मन में लालच पैदा हो गया और प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 ने प्रतिवादी सख्या 4 को वादगत खेत खसरा नम्बर 365 में से 20–00 बीघा भूमि गलत एवं आधारहीन वादी को नुकशान पहूचानें एवं उसको उसके हक व हिस्सा खरीद शुदा कब्जा काश्त की भूमि से वंचित करने हेतू विक्रय कर दिया जो कि वादी के मुकाबले गलत है। इसलिए वादी के लिए आवशयक हो गया है के वोह वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधित करवाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 365 65–05 बीघा में से उतरी अगुणी कुंट में 11 बीघा भूमि की खातेदारी अपने नाम राजस्व रेकार्ड संसोधन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से आपसी तोर पर वादगत खेत खसरा नम्बर 365 65–05 बीघा में से उतरी अगुणी कुंट में 11 बीघा भूमि की खतेदारी वादी अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाकर अलग से लगान कायम कराये। मगर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 टालमटोल करते रहे। इसलिए वादी के लिए आवशयक हो गया कि वोह अपनी खरीद शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग कि उतरी अगूणी कुंट कि 11 बीघा भूमि कि खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अपने अकेले के नाम

लगातार.......3

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते ...दासर जिला-...

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

खातेदारी अंकित करवाकर अलग से लगान कायम कराये जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादगत खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 65–05 बीघा वाके रोही सारंगसर में से उतरादी आथुणी कुंट में से 11 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 9/9/1988 के द्वारा खरीद शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम गलत अंकित रह जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मन में लालच पैदा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 गलत खातेदारी के आधार पर विक्रय, हस्तानतरण, रहन, बैय करने पर तुले हूए है जिसकी जानकारी वादी को होने पर प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 से निवेदन किया की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित करायें परन्तु प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 ने ऐलानिया धमकीया दी की वोह वादगत खेत को विक्रय करने की बात कर ली है वोह शिघ्र ही वादगत खेत को विक्रय करके विक्रय पत्र निष्पादित करवा कर रहेगे तथा वादगत खेत से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बैदखल करके ही रहेगे। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर वर्जित कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है वादी ने प्रतिवादी स. 1 ता 4 से दिनांक 29/02/2011 को वादगत खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 65–05 बीघा खातेदारी में संशोधन करवा कर 11–00 बीघा की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित करवा कर उसकी खातेदारी का विभाजन करायें। मगर प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 ने साफ इन्कार कर दिया। वादी वादगत खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 65–05 बीघा में से 11–00 बीघा का खातेदार कृषक है इसलिए वादी को वादाधार प्राप्त है तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 द्वारा दिनांक 28/02/2011 को ऐलानिया तौर पर धमकीया देने से वादी को वाद हैतुक प्राप्त है। प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 65–05 बीघा वाके रोही सांगरसर में से उतरी अगुणी कुन्ट में 11–00 बीघा भूमि वादी की जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09/09/1988 के द्वारा खरीद शुदा है जिसका वादी खातेदार कृषक है। वादगत खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 65–05 बीघा वाके रोही सांरगसर के राजस्व रेकार्ड में वादी की 11–00 बीघा भूमि की खातेदारी अंकित की जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे। वादगत खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 65–05 बीघा वाके रोही सांगसर का विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर वादी के खरीद शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की उतरी अगूणी कून्ट की 11–00 बीघा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अकेले के नाम अंकित की जाकर लगान का विभाजन किया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कर वर्जित किया जाये कि वादगत खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 65–05 बीघा वाके रोही सांरगसर में से उतरी– अगूणी कून्ट में 11–00 बीघा भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय आदि नहीं करें और ना ही जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बैदखल करें और ना ही वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटे आदि पैदा करें जिससे वादी के वैध कानूनी अधिकारों के विपरीत असर पडे। प्रतिवादी सख्या 5 को आदेश फरमाया जाये की मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकार्ड में अमल अरामद करवाये आदि आदि अनुतोष चाहा।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। तारीख पेशी दिनांक 23/11/2012 को पैरोकार राज. उपस्थित। प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 बावजूद विधिवत तामील के हाजिर नहीं होने के कारण प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 प्रतिवादी सख्या 4 द्वारा अपना हिस्सा गोपालसिंह को बेचने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। दिनांक 28/4/2015 को प्रकरण में संशोधित दावा हैड प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सख्या 6 गोपालसिंह की और से वकालतनामा प्रस्तुत। जवाब नहीं देना जाहिर करने पर जवाब प्रतिवादी सख्या 6 बन्द किया गया। दौराने साक्ष्य वादी कैम्प कोर्ट लुहारा में वादी की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.सी.सी. स्वीकार करने पर संशोधित शिर्षक पेश किया गया। दिनांक 20/09/2016 को प्रतिवादी सख्या 3 की और से श्री सूर्यप्रकाश स्वामी एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रतिवादी सख्या 3 के पुत्र अजीत आर्य की तरफ से श्री मोहम्मद शाहिद ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी. पी सी. का प्रस्तुत किया। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. खारिज होने पर प्रार्थी अजीत आर्य द्वारा निगरानी याचिका नम्बर 2382/2018 न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत होने पर मूल पत्रावली रेसेन्यू बॉर्ड में तलब की गई। दिनांक 14/6/2023 को प्रकरण के पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा होने के कारण निगरानी विड्रा की गई। पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर से लौट कर न्यायालय में प्रस्तुत। प्रकरण में प्रतिवादीया सख्या 2/1 के दतक पुत्र राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.फो. का प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल वकील वादी को दी गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब देना जाहिर नहीं करने पर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. स्वीकार किया गया। प्रकरण में संशोधित शिर्षक प्रस्तुत। प्रकरण के पक्षकार वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2/1, 2/2, 3, 4, 6 की और से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया की हम पक्षकारान् के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। हम राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा सूचि दस्तावेज के हमराह प्रस्तुत दस्तावेजों को शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार दावा दायरी से आज दिन खातेदारी रेकार्ड की स्थिति परिवर्तित हो चुकी है खातेदारान् का हिस्सा वित्तिय संस्थाओ के रहन होने के कारण वित्तिय संस्थाओं का हित निहित होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है इसलिए वित्तिय संस्था बैंकों को जवाबदेही हेतू नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सख्या 3 प्रेमदेव आर्य ने प्रतिवादी सख्या 7 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुजानगढ़ से लिये कृषि ऋण का चुकारा का अदयेता प्रमाण पत्र की छाया प्रति सूचि दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सख्या 8 बावजूद विधिवत तामील के हाजिर नहीं आने पर जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा होने के कारण साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण बन्द की गई। पत्रवली में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादगत खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 65–05 बीघा में से उतरी– पश्चिमी कून्ट की भूमि तादादी 11–00 बीघा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09/09/1988 के आधार पर वादी की खरीद शुदा है एवं खरीद के वक्त से कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा है, तथा तत्समय के खातेदार उगरा बेवाह प्रहलाददास के कोई सन्तान नहीं होने के कारण उगरा के हिस्सा की खातेदारी उनके प्रथम निकट रक्त संबधि प्रहलाददास के सगे भाई भोलदास की पत्नी चन्द्र व प्रेमदास के नाम दर्ज हो चुकी है। चन्द्री के कोई सन्तान नहीं होने के कारण चन्द्री ने अपने देवर प्रेमदास के पुत्र राजेन्द्र प्रसाद को जरिये पंजीकृत गोदनामा दिनांक 6/12/2021 कार्यालय उप पंजीयक बीदासर के आधार पर, अपना दतक पुत्र बना लिया है। मुताबिक राजीनामा एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादगत खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 65–05 बीघा में से उतरी पश्चिमी तरफ की 11–00 बीघा भूमि वादी हेमाराम के कब्जा काश्त में, दक्षिणी पश्चिमी तरफ की बीच की भूमि प्रतिवादी सख्या 6 जड़वा के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में, दक्षिणी पश्चिमी कोने की 9–00 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 4 मॉगीलाल के कब्जा काश्त में तथा पूर्वी तरफ की बाकी भूमि 34–05 बीघा प्रतिवादी सख्या 2/1 चन्द्री पत्नि भोलदास, 2/2 राजेन्द्र प्रसाद दतक पुत्र चन्द्री के कब्जा काश्त में है तथा खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 6.4244 हैक्टेयर (25–08 बीघा) प्रतिवादी सख्या 3 प्रेमदेव आर्य के कब्जा काश्त में है साथ ही पक्षकारान् ने राजस्व रेकार्ड में अपने नाम के अशुद्ध इन्द्राज को शुद्ध करने बाबत दस्तावेज आधार कार्ड की छाया प्रति मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिवादी सख्या 7 के अदेयता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न पत्रावली है, प्रतिवादी सख्सा 8 पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ़ का हित/इन्द्राज प्रतिवादी सख्या 4 पर रहेगा। पत्रावली वाद पत्र एवं प्रस्तुत समस्त प्रार्थना पत्रों, सूचि दस्तावेज के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन कर ध्यान पूर्वक परिशिलन किया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने एवं राजीनामा अनुसार वाद को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादी घोशणात्मक, रेकार्ड संषोधन, विभाजन एवं चिर निशेधाज्ञा की डिक्री किये जाने योग्य है जिसकी डिक्री किये जाने के आदेष दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

लगातार.....5

आदेश

अतः उपरोक्त वाद इस प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि मुताबिक राजीनामा रोही ग्राम सांरगसर के खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 16.5035 हैक्टेयर (65–05 बीघा) में से 11–00 बीघा भूमि उतरी–पश्चिमी कून्ट की 1 वादी केता हेमाराम के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है दक्षिणी पश्चिमी तरफ की बीच की भूमि प्रतिवादी सख्या 6 जड़ाव के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में, दक्षिणी पश्चिमी कोने की 9–00 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 4 मॉगीलाल के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में प्रतिवादी स. 8 बैंक रहन सहित तथा पूर्वी तरफ की भूमि 34–05 बीघा प्रतिवादी सख्या 2/1 चन्द्री पत्नि भोलदास, 2/2 राजेन्द्र प्रसाद दतक पुत्र चन्द्री के ब.हि. ब. पृथक पृथक दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तथा अलग लगान कायम किया जाता है खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 6.4244 हैक्टेयर (25–08 बीघा) प्रतिवादी सख्या 3 प्रेम देव आर्य के नाम खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जाती है एवं पक्षकार जड़वा का नाम राजस्व रेकार्ड में जड़ाव व प्रतिवादी स. 3 प्रेमदास का नाम राजस्व रेकार्ड में प्रेम देव आर्य पुत्र ईश्वर दास शुद्ध संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन खेत खसरा नम्बर 365 के खातेदारान का राजस्व रेकार्ड नक्शा में तरमीम कर खसरे अलग अलग कायम किये जाकर लगान अलग कायम किया जाये तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाता है कि वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बीदासर को डिक्री की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 2-01-24 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

श्रीमती अनिता धैतरवाल
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)